कार्यालय जनपद न्यायालय, बागपत।

जनपद न्यायालय, बागपत में वाहन पार्किंग,(मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग) के पार्किंग ठेके की वार्षिक वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु निलामी की होनी है। मोटरसाकिल पांकिंग एवं साईकिल पार्किंग के ठेके की नीलामी की जानी है। माननीय जनपद न्यायाधीश, बागपत के आदेश के अनुपालन मे उक्त नीलामी की तिथि दिनांक 13.11.2019 निर्धारित की जाती है। नीलामी निर्धारित समय 01:30 बजे जनपद न्यायालय, बागपत के सभागार कक्ष में सम्पन्न की जायेगी।

पत्रांक :– 396 दिनांक :– 4/11/19.

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी0ओ0 नं0-562/उन्नीस-2-2007-1007(टी0सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी की विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

२.कार्यालय जनपद न्यायाधीश बागपत एवं कार्यालय जिलाधिकारी बागपत

३.कार्यालय तहसील सदर बागपत, बड़ौत, खेकड़ा

४.कार्यालय नगर पालिका परिषद बागपतए जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पट

५.नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाईड/नेट पर अपलोड करने हेतु

आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 4.11.19

अध्यक्ष,
वाहन पार्किंग नीलाम समिति
प्रधान न्यायाधीश परिवार
न्यायालय बागपत।

Approved
2
DS
4/11/19
District Judge
Baghpat

उपसमिति की बैठक का कार्यवृत आख्या

आज दिनांक 04.112019 को पार्किंग नीलाम उप–समिति की बैठक मेरे विश्राम कक्ष सायं 04.00 बजे आहुत की गई। बैठक मे निविदा समिति के प्रथम सदस्य **श्री आबिद शमीम, प्रभारी अधिकारी नजारत/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0–02 बागपत। (सदस्य) उपस्थित आये तथा श्रीमती मिताली गोविन्द राव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट** बागपत अवकाश पर रहने के कारण उपस्थित नही आई। केन्द्रीय–नाजिर के द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष 2019–2020 की मोटर साईकिल एवं कार पार्किंग की नीलामी से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की गई।

नवनिर्मित दीवानी न्यायालय परिसर मे वित्तीय वर्ष 2019–20 (15 नवम्बर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) हेतु वर्तमान मे एक पार्किंग स्टैण्ड की नीलामी दिनांक 13.11. 2019 को समय 1.30 बजे अपरान्ह सिविल कोर्ट परिसर मे नवनिर्मित न्याय भवन मे सभागार में की जायेगी। नीलामी की शर्ते निम्नवत है :–

1. साईकिल/मोटर साईकिल पार्किंग की नीलामी का कार्यकाल चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 (15 नवम्बर 2019 से 31 मार्च 2020 तक) का होगा।

2. पार्किंग की नीलामी मे बोली बोलने वाले व्यक्ति का मु0 10,000/– सुरक्षा धनराशि नगद/बैंक ड्राफट जमा करनी होगी। बोली होने के पश्चात यह धनराशि बोली की रकम मे समायोजित की जायेगी परन्तु जिनकी बोली स्वीकृत नही होगी, उन्हे सुरक्षा धनराशि वापस कर दी जायेगी। नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्तियो को दिनांक 12.11.2019 तक बोली बोलने वाले व्यक्तियों को नगद रूप/बैंक ड्राफट के रूप मे जमानत धनराशि/धरोहर धनराशि को केन्द्रीय नजारत मे जमा करना होगा उन्हे ही बोली लगाने का अधिकार प्राप्त होगा।

3. प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को एक फार्म भरना होगा, जो 100 रूप्ये मूल्य पर नजारत कार्यालय मे दिनांक 05.11.2019 से 12.11.2019 तक 04.00 बजे अपरान्ह तक उपलब्ध रहेगा। उक्त फार्म के साथ सम्बन्धित ठेकेदार को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त अपना स्थाई निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नीलामी मे भाग लेने हेतु व्यक्ति को अपना आवेदन फार्म तिथि 12.11.2019 तक प्रस्तुत कर सकते है।

4. ठेका प्राप्त करने वाले व्यक्ति का दायित्व होगा कि वह पांच दिन के अन्दर ठेके के अनुबन्ध हेतु रूपये 100/–का जनरल स्टाम्प नजारत कार्यालय मे प्रस्तुत करें, ताकि अनुबन्ध पत्र माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित किया जा सकें। पार्किंग का ठेका किसी भी दशा मे किसी अन्य के पक्ष मे हस्तान्तरित नही किया जायेगा और ना ही किसी अन्य को वाहन पार्किंग का ठेका नी ही बेचा जायेगा और ना ही साक्षीदार किया जायेगा। ऐसी स्थिति मे पार्किंग ठेका निरस्त करते हुये पुनः ठेके की नीलामी की जायेगी।

5. बोली स्वीकृत होने पर सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा बोली की सम्पूर्ण धनराशि का 50 प्रतिशत तत्काल तथा शेष धनराशि अग्रिम 2 माह मे किसी भी दशा मे जमा करनी होगी।

6. **बोली की तिथि आगे बढाने, उसे निरस्त करने अथवा कोई बोली स्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार श्रीमान जनपद न्यायाधीश बागपत को होगा।**

7. श्रीमान जनपद न्यायाधीश बागपत अथवा प्रभारी अधिकारी नजारत, जजी द्वारा ठेके के समय या वित्तीय वर्ष के दौरान जो भी आदेश दिये जायेंगे। ठेकेदार द्वारा उनका पूर्ण रूप से पालन करना होगा। प्रभारी अधिकारी नजारत एवं माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के आदेश का पालन न करने पर कभी भी ठेका निरस्त किया जा सकता है।

8. साइकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड मे कीचड जल, भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये आवश्यक साफ–सफाई के साथ ही फर्श भी मजबूत रखनी होगी जिससे वाहन आने जाने पर धूल व कीचड से बचाव हो सके। वाहन को पार्किंग स्थल पर ही खड़ा करना होगा और पार्किंग स्थल मे धास कुडा करकट आदि की नियमित साफ–सफाई करनी रहेगी।

9. अधिक बोली दाता के पक्ष मे ठेका छूटने पर यदि उसके द्वारा वाहन पार्किंग की सम्पूर्ण धनराशि जमा नही की जाती तो नीलामी समिति द्वारा स्व–विवेकानुसार अगली अधिकतम बोली बोलने वाले के पक्ष मे बोली स्वीकृत की जा सकती है और ऐसी स्थिति मे ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा बोली गई बोली की धनराशि केन्द्रीय नजारत अनुभाग मे जमा करनी होगी।

10. यदि किसी व्यक्ति के पक्ष मे बोली छोडी गई अथवा नीलामी समिति द्वारा स्वीकृत की गई उसके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा नही की गई तो उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी

11. ठेका शर्तो के उल्लधन पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के जमा धनराशि जब्त करने हुये माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा तथा ठेकेदार को अविलम्ब स्थान खाली करके कब्जा वापिस करना होगा। अन्यथा ठेकेदार के खर्च पर खाली कराकर कब्जा वापिस लिया जायेगा। ठेका पुनः नीलामी आवंटन योग्य होगा

12. अपराधिक इतिहास वाले किसी भी व्यक्ति को बोली मे भाग लेने का अधिकार नही होगा। यदि इस तथ्य को छिपाये जाने पर किसी व्यक्ति का ठेका यदि स्वीकृत हो जाता है, तो

उसकी जानकारी होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2019—20 हेतु मोटर साईकिल व साईकिल पार्किंग का ठेका की दर निम्नवत है :—

मोटरसाईकिल **10 रूपये प्रति वाहन**

साईकिल **05 रूपये प्रति वाहन**

यदि नीलामी का औसतन आकलन किया गया जो निम्न प्रकार से है:—

मोटरसाईकिल व साईकिल पार्किंग

वाहन का विवरण	प्रतिदिन वाहनों की अनुमानित संख्या	प्रतिदिन औसतन आय	प्रतिमाह औसतन आय (22 दिन)
दो पहिया वाहन	80 से 120	800 से 1200	17600 से 26400 तक

कार पार्किंग व मोटरसाईकिल व साईकिल पार्किंग हेतु धरोहर धनराशि

क्रम संo	ठेके का विवरण	धरोहर राशि	भूमि का विवरण
1.	मोटरसाईकिल व साईकिल पार्किंग	10,000 / — रूपये	34.10 मीटर गुना 31.00 मीटर

नीलामी की शर्ते माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत को अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

(मिताली गोविन्द राव)
सदस्य
वाहन पार्किंग नीलाम समिति/
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायाधीश बागपत।

(आबिद शमीम)
सदस्य
वाहन पार्किंग नीलाम समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विशेष न्यायालय सं0 2
बागपत।

4.11.19
(अवध बिहारी सिंह)
अध्यक्ष
वाहन पार्किंग नीलाम समिति/
प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
बागपत।

<u>निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी0ओ0 नं0-562/उन्नीस-2-2007-1007(टी0सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी की विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

२.कार्यालय जनपद न्यायाधीश बागपत एवं कार्यालय जिलाधिकारी बागपत

३.कार्यालय तहसील सदर बागपत, बड़ौत, खेकड़ा

४.कार्यालय नगर पालिका परिषद बागपतए जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पट

५.नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाईड/नेट पर अपलोड करने हेतु

आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।

4.11.19
अध्यक्ष,
वाहन पार्किंग नीलाम समिति
प्रधान न्यायाधीश परिवार
न्यायालय बागपत।

Approved
4/11/19
District Judge
Baghpat

दीवानी न्यायालय बागपत।

वाहन पार्किंग आवेदन फार्म

क्रमांक:–

नवीनतम फोटो

नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम :– श्री
पिता का नाम :– श्री
स्थायी पता :–
वार्षिक आय :– व्यवसाय :–
शैक्षिक योग्यता :– उम्र :–
कार्य का अनुभव यदि हो तो :–

मै/हम इस ठेका सम्बन्धी कार पार्किंग/मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग की नीलामी .... के सम्बन्ध में आवेदन करता/करती हूं।

मेरे द्वारा दिनांक....................................... को निराक्षित की गयी तथा रूपया का नगद/बैंक ड्राफ्ट संख्या :–.. दिनांकित :– .... धनराशि सिक्योटि के रूप मे जमा कर दी गयी है। जिसे यदि मै ठेका का कार्य करने मे अस्मर्थ रहता हूं या पूर्ण धनराशि जमा करने मे असफल होता हूं तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायें। नीलामी समिति की शर्तो को भली–भांति पढ व समझ लिया है। जिसका मै भली–भांति पूर्ण रूप से पालन करूंगा।

उपरोक्त नीलामी मेरे द्वारा दीवानी न्यायालय बागपत, प्रांगण में नीलामी समिति के द्वारा अधिकतम धनराशि रूपया .... घोषित की जाती है व यह घोषणा की जाती है कि उपरोक्त निविदा फार्म में भरी गयी समस्त सूचना सही व सत्य है। यदि उपरोक्त सूचना असत्य पायी गयी तो मेरी निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

दिनांक :– हस्ताक्षर
आवेदक

नोट :–
01 ठेकेदार/व्यक्ति को नीलामी मे भाग लेने वाले हेतु अपनी आधार कार्ड आई0 डी0 की स्वसत्यापित छायाप्रति, मोबाईल नम्बर, धर का बेसिक/टेलीफोन/मोबाईल नम्बर उक्त फार्म के साथ देना अनिवार्य होगा। अपूर्ण फार्म स्वीकार नही किया जायेगा।

दिनांक:–

आवेदक के हस्ताक्षर

Seen
5.11.19